न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 323/2016
जी.सी.एम.एस. नं. 2016/00820 निर्णय दिनांक : 09.03.2022

रामेश्वर वगै0

बनाम गोपाल वगै0

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2018 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम सोकड़ाला की ढाणी पटवार हल्का छापौली के भूमि ख.नं. 565, 566, 567, 570, 571, 573, 582, 583, 4899/572, 4902/585 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.05.2018 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढा गौड़जी से पत्र कमांकः– भू0अ0/340 दिनाक 14.02.2020 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर वादी ने आपति प्रार्थना पत्र पेश किया। आपति प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता हैं। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.02.2020 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.02.2020 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:24:32 IST
Reason: SelfAttested

आदेश	कार्यवाही विवरण
	10/1/2022 पत्रावली पेश हुई [illegible] री। [illegible] है। महोदय [illegible] नहीं। अतः [illegible] हो। दिनांक...... 18/2/2022
18/2/2022	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अधिकारी महोदय अवकाश पर है पत्रावली [illegible] आदेश हेतु [illegible] 9/3/2022 को पेश हो। [signature]
9/3/2022	पत्रावली पेश हुई [illegible] प्रार्थना पत्र के [illegible] [illegible] अतः [illegible] पत्र को स्वीकार किया [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] हो। [signature] 9/3/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:24:32 IST
Reason: SelfAttested